

कार्यालय अधिष्ठाता :: नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/18/ 6561

दिनांक 9/08/2018

//संशोधित विज्ञप्ति सूचना//

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/राज/6401 दिनांक 04/08/2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 म.प्र. स्वशासी चिकित्सा शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतगत स्वशासी संस्था नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के अधीन सीधीभर्ती एवं पदोन्नति/सीधीभर्ती हेतु चिन्हित पदों से संबंधित संधारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुसार गणना कर निम्नलिखित विषयों में उपलब्ध संकलित प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधीभर्ती द्वारा किया जाना है। आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में कार्यरत उन्हीं प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक को होगी जो कि शासन/एमसीआई द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हों।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 13/08/2018 शायं 5:30 बजे तक

S.No	Name of Subject	Professor				Associate Professor			
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC
1	एनाटॉमी	1	-	-	-	-	-	-	-
2	पैथालॉजी	-	-	-	-	1	1	-	-
3	जनरल मेडिसिन	-	-	-	-	1	2	-	-
4	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	2	1	-	-
5	शिशुरोग	-	-	-	-	2	1	-	-
6	स्त्रीरोग	-	-	-	-	2	1	-	-
7	निश्चेतना	-	-	-	-	1	-	1	-
8	अस्थिरोग	1	-	-	-	2	-	-	-
कुल योग		2				11	6	1	

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनसूचित जाति, ST = अनसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

- नोट:-
1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
 2. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर WWW.nscbmc.ac.in उपलब्ध है।
 3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।


अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर